दिनांकः 27.02.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 हत्यारोपित अभियुक्त गिरफ्तार ,कब्जे से अभियुक्त के रक्तरंजीत कपड़े व जूते बरामद

अवगत कराना है कि दिनाँक 22.02.2025 को थाना सदर बाजार क्षेत्रान्त्रगत शाकुम्भरी विहार मे खाली प्लॉट में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने की सूचना पर पुलिस द्वारा घटनास्थल पहुँचकर निरीक्षण किया गया। मृतक द्वारा पहनी हुई शर्ट पर लगे इण्डियन टेलर (लोगो) के बारे में जाकारी प्राप्त की गई। अज्ञात मृत व्यक्ति की पहचान सुभाष पुत्र जम्मा निवासी साबतवाली झबरेडा हरिद्वार उत्तराखण्ड के रुप मे हुई। रवि पुत्र सुभाष निवासी साबतवाली झबरेडा हरिद्वार उत्तराखण्ड की तहरीर के आधर पर दिनांक 24.02. 2025पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी के पिता की हत्या कर शव को छिपा देने के सम्बन्ध मे थाना सदर बाजार पर मु0अ/097 0सं02025 धारा 103(1)/238(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा घटना का तत्काल संज्ञान लेकर हत्या की घटना में शामिल अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए।इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एंव क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुबे सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 27.02.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा हत्या की घटना कारित करने वाले अभियुक्त **रवि पुत्र रंजीत निवासी श्याम गढी थाना कांधला जिला शामली** को फुलवारी गार्डन, दिल्ली रोड के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से रंक्तरंजित कपड़े व जूते बरामद किये गये।अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त उफरोक्त ने बताया कि बताया कि मैं ट्रक नम्बर HR 74 A 2593 जिसका मालिक व ड्राइवर उसमान है के साथ उसी के ट्रक पर हैल्परी का काम करता हूँ। दिनांक 21.02.2025 को हमारा ट्रक सैल टैक्स वालो नें पकड़ लिया था जिसे उन्होंने सैल टैक्स ऑफिस के पीछे दिल्ली रोड पर खड़ा किया था।अभियुक्त ने बताया की मैं कम पढा लिखा हूँ व शराब पीने के आदि हूँ। मेर पास अक्सर पैसो की कमी रहती थी। उसी दिन करीब 8 बजे रात को मैं ट्रक ड्राइवर उस्मान से बताकर खाना खाने के लिये दिल्ली रोड पर गया था। जहाँ पर मैने देशी शराब के ठेके से दो क्वार्टर शराब भी ली थी। जब मैं खाना खाकर और शराब पीकर वापिस जा रहा था,जैसे ही

मैं दिल्ली रोड पर फुलवारी गार्डन व संदीप ब्रेकर्स मवीकलां के सामने पहुंचा तो एक व्यक्ति शराब के नशे में वहाँ पर खड़ा होकर गाली गलौच कर रहा था । उस व्यक्ति नें मुरे साथ भी गाली गलौच करना शुरु कर दिया। मैंने उसे काफी समझाया लेकिन वह नही माना।इसी बात से क्रोधित होकर मैंन उस व्यक्ति की हत्या करने की योजना बनाई । मैं उस व्यक्ति को अपने साथ शराब पिलाने के बहाने सरस्वती विहार गर्ल्स स्कूल को जाने वाले रास्ते की तरफ ले गया तथा कुछ आगे जाकर आवास विकास के पास खाली पड़े मकानो की तरफ अंधेरी जगह में ले गया ।तभी मैंने उस व्यक्ति का मुहँ दबाकर अपनी कोहनी से कई वार किये जब वह बेहोश हो गया।बाद में मैंने सिमेन्ट की ईट उठाकर उसके सिर पर जान से मारने के ईरादे से कई वार कर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद जब मैंने उसकी तलाशी ली तो उसकी जेब में कुछ नही मिला। हत्या करने के बाद व शव को वही छोड़कर वहाँ से भाग गया था

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

रवि पुत्र रंजीत नि0 श्याम गढी थाना कांधला जिला शामली उम्र करीब 22 वर्ष बताया

बरामदगी -

अभियुक्त के रक्त रंजित कपडे व घटना के समय पहने हुए जुते ।

गिरफ्तार करने वाली टीम -

1. प्र0नि0 श्री सूबे सिंह थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
2. निरीक्षक संजीव कुमार थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 रविन्द्र सिंह थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
4. है0का0 850 सचिन कुमार थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
5. है0का0 67 कुलदेव थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर ।
6. है0का0 215 सुमित थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
7. का0 1815 विशाल थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
8. है0का0 739 ललित कुमार थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
9. है0का0-556 नरेश कुमार थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर ।
10. चालक दीपक कुमार थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 27.02.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबंद, पुलिस द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुये 01 हत्यारोपित अभियुक्त गिरफ्तार ,निंशादेही पर घटना में प्रयुक्त 01)फावडा व01 ईंट (बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 25.02.2025 को वादी श्री कंवरपाल पुत्र चरण सिंह निवासी ग्राम भायला खुर्द थाना देवबन्द सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत वादी के पुत्र अनमोल उर्फ प्रिन्स उम्र 12 वर्ष दिनांक 24/2/25 को मोहल्ले में खेलने के लिए जाना व घर वापस न आने के सम्बन्ध में थाना देवबंद पर मु0अ0सं0-97/2025 धारा 137(2) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया । दिनांक 25.02.2025 को अनमोल उर्फ प्रिन्स उम्र 12 वर्ष का शव ग्राम भायला खुर्द में ईख के खेत में मिला। विवेचना के दौरान मुकदमा उपरोक्त में धारा 103(1)/238 बीएनएस की वृद्धि की गयी ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर घटना में शामिल अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु दिशा निर्देश दिए। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबंद के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री बीनू चौधरी के कुशल नेतृत्व में दिनांक 27.02. 2025को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबंद पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में हत्या की घटना में शामिल अभियुक्त **अंकित पुत्र जोगिन्द्र उर्फ सुक्का निवासी ग्राम भायलां खुर्द थाना देवबंद जनपद सहारनपुर** को ग्राम भायलां खुर्द की नहर की पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया ।जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त बरामद हुई।अभियुक्त (फांवड़ा व ईंट) के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त ने बताया कि दिनांक 24.02.02 को करीब 2025.बजे मैं 30 आम के बाग में बैठकर मोबाइल में गेम खेल रहा था। तभी अनमोल उर्फ प्रिन्स मेरे पास आया और मेरे साथ मोबाइल में गेम खेलने लगा। मैं अनमोल उर्फ प्रिन्स को बहला फुसलाकर पब्जी गैम खिलाने के बहाने ईख के खेत में ले गया। मैंने अनमोल के साथ गलत काम करने का प्रयास किया तो अनमोल शौर मचाने लगा और कहने लगा कि मै इस बारे में मैं अपने मम्मी पापा को बता दूँगा।मेरे काफी समझाने पर भी वह नहीं माना मैं इस बात से बहुत डर गया था। तभी मैंने क्रोध में आकर ईख के खेत में पड़ी एक ईट उठाकर अनमोल उर्फ प्रिन्स के सिर पर कई बार वार जिससे अनमोल की मृत्यु हो गयी। इसके पश्चात् मैं अपने घर गया और अपने घर से फावड़ा लेकर बाग के रास्ते को ईख के खेत में गया और अनमोल के शव पर फावडे से मिट्टी खोदकर डाल दी जिससे अनमोल उर्फ प्रिंस का शव किसी को दिखाई न दे। मैंने खून लगी ईंट को पास में ही स्थित गेहु के खेत में आम के पेड के पास छिपा दिया था तथा फावडे को अपने घर पर टीनशेड के नीचे छिपा दिया था ।जिसे मैंने पुलिस को बरमाद करा दिया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अंकित पुत्र जोगिन्द्र उर्फ सुक्का निवासी ग्राम भायलां खुर्द थाना देवबंद जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण -

- 01 फांवड़ा व 01 ईंट (घटना में प्रयुक्त)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक बीनू चौधरी थाना देवबन्द, जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 के0पी0 सिंह थाना देवबंद जनपद सहारनपुर।
3. उ0नि0 नरेन्द्र भड़ाना थाना देवबंद जनपद सहारनपुर।
4. उ0नि0 अमित कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
5. है0का0 274 रवि तोमर थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
6. का02107 रवि राठी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक: 27-02-2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुरउत्तर प्रदेश ,

थाना गागलहेडी पुलिस द्वारा 02 शातिर गोकश गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा /01जिन्दा कारतूस 315 बोर, गोकशी करने के उपकरण व 01 स्कूटी बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 26.02. 2025ग्राम नल्हेड़ा वेद बेगमपुर के पास बाग में अज्ञात गोकशो द्वारा गौकशी की गयी थी जिसके सम्बन्ध मे ,थाना गागलहेड़ी पर मु0सं0अ0- 38/3 धारा 2025/5/गौवध निवारण 8 अधिनियम बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर गोकशी की घटनाओं की रोकथाम व इसमें शामिल अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए गए। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं सहायक पुलिस अधीक्षकक्षेत्राधिकारी सदर के निकट प्रयवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री सुरेश / कुमार के कुशल नेतृत्व मेें दिनांक 26.02.की रात्रि को थाना गागलेहडी पुलिस टीम ग्राम नन्हेड़ी बेग 2025 बेगमपुर के पास भगवान पुर पोड पर चैकिंग कर रही थी। तभी एचबीएच डिग्री कालेज से ग्राम बालेली की तरफ जाने वाले रास्ते पर सामने से 01 स्कूटी पर सवार दो व्यक्ति आते दिखाई दिए।जिन्हें पुलिस टीम द्वारा टार्च दिखाकर रुकने का इशारा किया गया, तो स्कूटी चालक ने तेजी से स्कूटी को वापस मोड़कर भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस टीम द्वारा घर घौटकर स्कूटी सवार दोनो व्यक्तियों को पकड लिया। जिनकी पहचान **शमशाद पुत्र शहजाद नि0 ग्राम हरौडा थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर** व 2.**रमजान उर्फ रमजानी पुत्र अब्बास निवासी ग्राम हरौडा थाना गागलहेडी सहारनपुर के रुप में हुई। गिरफ्तार अभियुक्त शमशाद के कब्जे से** 01 तमंचा /01जिन्दा कारतूस बोर बरामद 315 हुए।अभियुक्त रमजान के कब्जे से गोकशी करने के उपकरण लोहे 01 कादाव03 , छुरी व 01 छोटी कुल्हाडी बरामद हुई तथा एकटिवा की डिग्गी से 01 पल्ली,02 रस्सी व 01 लकडी का गुटका बरामद हुआ । बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/ आमर्स एक्ट 25की वृद्धी की गयी । गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया कि हम दोनो मिलकर रात के अन्धेरे मे जंगल में घूमर रहे आवारा पशुओं को पकड़कर गौकशी करते है।गौकशी के उपरान्त हम गौमांस को आसपास के क्षेत्र में अधिक कीमत में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं और आपस मे अपना अपना हिस्सा बाँट लेते हैं।हम दोनो व हमारे दो अन्य साथियों ने मिलकर दिनाक 24.02.को रात्रि मे 2025ं ग्राम नन्हेडा बेगमपुर के बाहर आम के बाग मे 01 अवारा गौवंश को सडक से पकड कर बाग मे ले जाकर गौकशी की थी। अवशेषो को हमने बाग मे ही छोड़ दिया था।दिनांक 26.02.की रात्रि को भी हम गौकशी करने जा रहे थे तभी पुलिस द्वारा हमें पकड़ लिया गया। 2025

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता -

1- शमशाद पुत्र शहजाद निवासी ग्राम हरौडा थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर

2- रमजान उर्फ रमजानी पुत्र अब्बास निवासी ग्राम हरौडा थाना गागलहेडी सहारनपुर

बरामदगी -

- 01 तमंचा/01 जिंदा कारतूस 315 बोर
- 01 स्कूटी (UP 11 B Z 6816)
- 01 पल्ली, 02 रस्सी व 01 लकडी का गुटका)
- 01 लोहे का दाव
- 03 छुरी
- 01 कुल्हाड़ी

गिरफ्तार अभियुक्त शमशाद का आपराधिक इतिहास-

1.मु345 0स0अ0/3 धारा 17/5/3 गौवध अधिनियम व 8/पशुक्रुरता अधिनियम थाना गागलहेडी जनपद 11 सहारनपुर
2.मु202 0स0अ0/भादवि थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर 307 धारा 19
3.मु203 0स0अ0/3 धारा 19/5/ गौवध अधिनियम थाना 8गागलहेडी जनपद सहारनपुर
4.मु205 0स0अ0/ आर्म्स एक्ट थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर 25 धारा 29
5.मु430 0स0अ0//ए5 धारा 198 गौवध अधिनियम थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
6.मु79 0स0अ0/2 धारा 20/ गैगस्टर एक्ट थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर 3
7.मु42 0स0अ0/3 धारा 21//क58 गौवध अधिनियम थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
8.मु43 0स0अ0/3 धारा 21//क58 गौवध अधिनियम थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
9.मु400 0स0अ0/3 धारा 21//क58 गौवध अधिनियम व 3/पशु क्रुरता अधिनियम थाना मण्डी जनपद 11 सहारनपुर
10.मु40 0स0अ0/3 धारा 22/ आर्म्स एक्ट थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर 25
11.मु390 0स0अ0/457 धारा 23/380/411/ बी भादवि थाना बेहट जनपद सहारनपुर120
12.मु412 0स0अ0/379 धारा 23/भादवि थाना बेहट जनपद सहारनपुर 411
13.मु420 0स0अ0/379 धारा 23/भादवि थाना बेहट जनपद सहा 411रनपुर
14.मु477 0स0अ0/307 धारा 23/ भादवि थाना बेहट जनपद सहारनपुर 420

गिरफ्तार अभियुक्त समजान का आपराधिक इतिहास-

1.मु166 0स0अ0/3 धारा 22//क58 गौवध अधिनियम थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
2.मु176 0स0अ0/4 धारा 22/ आर्म्स एक्ट थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर 25
3.मु0अ0स341 0/2 धारा 22/गैगस्टर एक्ट थाना गागलहेडी 3

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः -

1. थानाध्यक्ष सुरेश कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री उपेन्द्र सिंह थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
4. है0का0 317 सुनील कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
5. का0 1035 हरेन्द्र सिंह थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर

दिनांक: 27-02-2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुरउत्तर प्रदेश ,

थाना गंगोह, सहारनपुर पुलिस द्वारा महिला से छिनैती की घटना का सफल अनावरण करते हुए 03 शातिर अभियुक्तगण गिरफ्तार,कब्जे से 6800/- रुपये नगद, 01 आधार कार्ड, 01 चोरी की मोटरसाइकिल (घटना में प्रयुक्त) व 01 फर्जी नम्बर प्लेट बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 24.02.2025 को वादी श्रीमती गुलिस्ता पत्नी आरिफ निवासी ग्राम बुढनपुर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर ने एक लिखित तहरीर बाबत मोटर साईकिल सवार अज्ञात दो युवकों द्वारा झपटा मारकर वादिया से थैला (जिसमें 14,000/- रु0) थे छीन कर ले जाने के संबंध में थाना गंगोह पर मु0अ0सं0-64/2025 धारा 134 बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर छीनैती/ लूट एंव चोरी की घटनाओं की रोकथाम व अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एंव क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक गंगोह श्री रोजन्त त्यागी के कुशल नेतृत्व में थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा दिनांक 26.02.2025 को मुखबिर की सूचना पर महिला से छीनैती की घटना करने के मुकदमें में त्वरित कार्यवाही करते हुए 03 शातिर अभियुक्तगण **1. शुभम पुत्र अरविन्द निवासी ग्राम दूधला थाना गंगोह जिला सहारनपुर 2. प्रवीन कुमार नहार सिंह निवासी ग्राम दूधला थाना गंगोह जिला सहारनपुर 3. सागर पुत्र संजय निवासी ग्राम दूधला थाना गंगोह जिला सहारनपुर** को वजीरपुर तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से छीने गये 6800/- रूपये व 01 वादिया का आधार कार्ड तथा घटना में प्रयुक्त चोरी की मोटर साईकिल बरामद हुई। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2)/317(5)/318(4)/336(2)/61 बी0एन0एस0 की वृद्धि की गयी।अभियुक्तगण के कब्जे से मिली चोरी की मोटर साईकिल स्पलैण्डर प्लस नं0 UP19F9420 थाना कोतवाली शामली जनपद शामली पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 612/24 धारा 303(2) बी0एन0एस0 से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्तगण ने एक स्वर में बताया कि हम तीन दोस्त हैं। दिनांक 24.02.2025 को हम तीनो कस्बा गंगोह स्थित एसबीआई बैंक के पास जनसेवा केन्द्र पर किसी काम से गये थे। तभी जन सेवा केन्द्र पर दो महिलाएं आयी उनमे से एक महिला ने जनसेवा केन्द्र में पैसे जमा कराये तथा कुछ पैसे अपने पर्स/थैले मे रखते हुए हमने उसे देख लिया था। तभी हम तीनो ने मिलकर महिला का पर्स छीनने की योजना बनायी कि जैसे ही दोनो महिलाएं जनसेवा केन्द्र से बाहर निकलकर सुनसान रास्ते पर आयेगी तभी हम तीनों बाईक से जाकर महिला का थैला छीन लेगें तथा हमारा एक अन्य साथी कैफे पर रहकर मौके से हमें सूचना देता रहेगा। जैसे ही महिलाएं जनसेवा केंद्र से निकलकर शिवचौक की और जाने वाले रास्ते पर चल दी तो हम तीनो ने पीछे से महिला का थैला झपट्टा मारकर छीन लिया गया और वहाँ से भाग गये। हमें उस बैग को खोलकर

देखा तो उसमें 13800/- रूपये मिले 01 आधार कार्ड मिला।हम तीनों ने आपस में रुपये बराबर- बरामबर रुपये बाट लिये। कुछ रुपये हमने मौज मस्ती में खर्च कर दिए। पुलिस द्वारा जो हमसे 6800/- रुपये बरामद किये हैं वो हमने उसी महिला से छीने थे।पुलिस द्वारा जो हमार पासे से मोटरसाइकिल बरामद की है उसे हम तीनो के द्वारा पिछले साल कोशाम्बी विहार, शामली से चोरी की थी। मोटरसाइकिल पर हमने फर्जी नम्बर प्लेट लगा रखी थी जिससे हमें पुलिस पकड़ न सके।

बरामदगी -

- 01 आधार कार्ड (मुकदमा वादिया का)
- 6800/- रू0 नगद
- 01 अदद मोटर साईकिल स्पलैण्डर प्लस

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. शुभम पुत्र अरविन्द नि0 ग्राम दूधला थाना गंगोह जिला सहारनपुर।
2. प्रवीन कुमार नहार सिंह नि0 ग्राम दूधला थाना गंगोह जिला सहारनपुर।
3. सागर पुत्र संजय नि0 ग्राम दूधला थाना गंगोह जिला सहारनपुर।

अभियुक् शुभम का आपराधिक इतिहास -

1) मु0अ0सं0 288/23 धारा 380/411/457 भादवि थाना गंगोह सहारनपुर।
2) मु0अ0सं0 64/25 धारा 134/317(2)/317(5)/318(4)/336(2)/61 बी0एन0एस0 थाना गंगोह सहारनपुर।

अभियुक्त प्रवीण का आपराधिक इतिहास-

1) मु0अ0सं0 505/21 धारा 414 भादवि थाना गंगोह सहारनपुर
2) मु0अ0सं0 507/21 धारा 4/25 आयुद्ध अधि0 थाना गंगोह सहारनपुर
3) मु0अ0सं0 6584/09 धारा 307/427/452/504/506 भादवि थाना गंगोह सहारनपुर
4) मु0अ0सं0 556/24 धारा 60/63 आबकारी अधि0 थाना गंगोह सहारनपुर
5) मु0अ0सं0 64/25 धारा 134/317(2)/317(5)/318(4)/336(2)/61 बी0एन0एस0 थाना गंगोह सहारनपुर

अभियुक्त सागर का आपराधिक इतिहास-

1) मु0अ0सं0 383/13 धारा 147/148/149/186/307/323/353/427/504/506 भादवि व 7 सीएलए अधि0 थाना गंगोह सहारनपुर
2) मु0अ0सं0 64/25 धारा 134/317(2)/317(5)/318(4)/336(2)/61 बी0एन0एस0 थाना गंगोह सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री रोजन्त त्यागी थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

2. उ0नि0 नीरज कुमार गंगोह जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 जितेन्द्र सिंह थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
4. है0कां0 258 अजित मलिक थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
5. है0का0 362 अमित कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
6. कां0 326 रिंकू थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
7. कां0 2452 रक्षित थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

दिनांक: 27.02.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा 02 शातिर वाहन चोर अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का 01 स्कूटर बरामद।

अवगत कराना है कि दिनाँक 26.02.2025 को वादी श्री संतोष कुमार पुत्र श्री रामदयाल निवासी रामनगर पठानपुरा थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी का स्कूटर यू0पी011बीवी 5549 जुपीटर रंग नीला को अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पर मु0अ0स0 102/2025 धारा 303(2) बीएनएस वृद्धि धारा 317(2) BNS के पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर वाहन चोरी की घटनाओं की रोकथाम व इसमें शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एंव क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 27.02.2025 को मुखबिर की सूचना पर चैकिंग के दैरान थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा 02 शातिर वाहन चोर/अभियुक्त **1. सागर पुत्र जसवीर निवासी- पंत विहार कालौनी थाना सदर बाजार सहारनपुर 2. आदित्य उर्फ सागर पुत्र नाथीराम निवासी काशीराम कलौनी पेपर मिल रोड थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर** को रेलवे अण्डर के पास गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से मुकदमा उपरोक्त में चोरी किया गया स्कूटर बरामद हुआ।गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त ने एक स्वर में बताया कि हम दोनो नशा करने के आदी है। अक्सर हमारे पास पैसो की तंगी रहती है। हम दोनों को नशा करने के लिये पैसो की जरुरत थी तो हम दोनो ने नवीन नगर में किसी वाहन को चोरी करने की तलाश करने लगे।तभी हमें नवीन नगर में शिव मन्दिर के पास हमें 01 स्कूटर खडा हुआ दिखाई दिया। जिसको हम दोनों ने चोरी कर लिया था। आज जब हम चोरी किये गये स्कूटर को बेचने जा रहे थे तो पुलिस ने हमे पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता: –

.1 सागर पुत्र जसवीर निवासी पंत विहार कालौनी थाना सदर बाजार सहारनपुर

.2 आदित्य उर्फ सागर पुत्र नाथीराम निवासी काशीराम कलौनी पेपर मिल रोड थाना कोतवाली देहात सहारनपुर।

अभियुक्त आदित्य उर्फ सागर उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:–

1. मु0अ0स0 240/2023 धारा 8/2021 एनडीपीएस एक्ट थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
2. मु0अ0स0 341/2023 धारा 308/323/324 भादवि थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
3. मु0अ0स0 506/2021 धारा 414 भादवि थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर

अभियुक्त सागर उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:–

1. मु0अ0स0 189/2023 धारा 392/411 भादवि थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।
2. मु0अ0स0 368/2021 धारा 392/411 भादवि थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
3. मु0अ0स0 606/2021 धारा 414 भादवि थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर

4. मु0अ0स0 607/2021 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

01 स्कूटर (यू0पी0 11 बीवी 5549)

गिरफ्तार करने वाली टीम -

1. उ0नि0 श्री दीपक कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर।
2. उ0नि0 निर्मल सिंह थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
3. है0का0 518 हरेन्द्र सिंह थाना सदर बाजार सहारनपुर ।
4. है0का0 739 ललित कुमार थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
5.है0का0 556 नरेश कुमार थाना सदर बाजार जनपद सहारपुर
6. मय चालक दीपक के थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर ।

-प्रेस नोट-

दिनाक 27.02.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा नाबालिग लडकी के साथ छेडछाड करने के 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनाँक 27.02.2025 को वादी द्वारा थाना सदर बाजार पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्त रहमान पुत्र नामालूम निवासी नामालूम द्वारा वादी की पुत्री के साथ घर मे घुसकर छेडछाड कर अश्लील हरकत करने के सम्बन्ध मे थाना सदर बाजार पर मु0अ0स0 104/2025 धारा 333/74 बी0एन0एस0 व 9/10 पोक्सो अधि0 पंजीकृत कराया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतू दिशा निर्देश दिये गये। आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एंव क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुबे सिंह के कुशल नेत्तृत्व में आज दिनांक 27.02.2025 को थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त मुकदमें में वांछित अभियुक्त **रहमान पुत्र परवान उर्फ फरमान निवासी आरके पुरम थाना सदर बाजार सहारनपुर** को लकडी के पुल के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः–

रहमान पुत्र परवान उर्फ फरमान निवासी म0 न0 43 आरके पुरम थाना सदर बाजार सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 सुशील कुमार थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 753 अमरपाल थाना सदर बाजार सहारनपुर।
3. का0 2329 अनिल कुमार थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।